



प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-25 फरवरी, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रक्षेत्र एवं डीएफएस केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-38/प0-2/22/1/4/फार्म-डी.एफ.एस./एलडीबी/2025-26, दिनांक-09.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 15 के अधीन प्रक्षेत्र एवं डीएफएस केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-5/2026/2115/सैंतीस-2-2025/001-1(19)/2022, दिनांक-19.01.2026 द्वारा ₹0-39.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में अंकित मानक मदवार विवरण त्रुटिपूर्ण होने के कारण शासनादेश दिनांक-19.01.2026 में अंकित मानक मदवार विवरण को निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
08-कार्यालय व्यय	11.00
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	11.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00
47-कम्प्यूटर हार्डवेयर/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.10
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6.50
योग-	39.60

2- शासनादेश दिनांक-19.01.2026 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-29/2026/389(1)/सैंतीस-2-2026-1(19)/2022, तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।